CHRI 2015

पुलिस कदाचार

पुलिस द्वारा की जाने वाली सामान्य अनियमित्ताएं व् मानकों का उल्लंघन

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative

राष्ट्रमंडल देशों में मानवाधिकारों की व्यवहारिक अनुभूति के लिए कार्यरत

कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, अंतर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संस्था है, जो राष्ट्रमंडल देशो में मानवाधिकार के व्यवहारिक प्रचलन व् अनुभूति के लिए कार्यरत है। वर्ष 1987 में राष्ट्रमंडल के कई अनुभवी सहयोगियों ने मिलकर सीएचआरआई की नींव रखी। उनकी यह मान्यता है कि राष्ट्रमंडल ने अपने सदस्य देशों को तो साझा मूल्य व् कानूनी सिद्धांत प्रदान किये हैं जिससे कि मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्राप्त हो, लेकिन स्वयं राष्ट्रमंडल में मानवाधिकार के मुद्दों पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है।

सीएचआरआई का उद्देश्य राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों में मानवाधिकार को बढ़ावा देने के उद्देष्य से 'कामनवेल्थ हरारे प्रिंसिपल्स', 'युनिवर्सल डिक्लेरेशन आफ़ ह्यूमन राइट्स' व् मानवाधिकार के अन्य अंतर्राष्ट्रीय व् राष्ट्रीय संसाधनों का प्रयोग करना, उनको बढ़ावा देना व् उनके बारे में जागरूकता पैदा करना है।

सीएचआरआई अपनी रिपोर्टों व् आवधिक शोध रिपोर्टों के माध्यम से राष्ट्रमंडल देशों में मानवाधिकार की उन्नति व् अवनति पर ध्यान आकर्षित करती रहती है। मानवाधिकार हनन को रोकने व् इसके समाधान के दृष्टिकोण व् उपायों के साथ सीएचआरआई राष्ट्रमंडल सचिवालय, सदस्य सरकारों व् सार्वजानिक संस्थाओं का ध्यान इस ओर दिलाती रहती है। अपने सार्वजानिक शैक्षिक कार्यक्रमों, नीति संबंधी वार्ता, तुलनात्मक अनुसन्धान, एड्वोकेसी व् नेटवर्किंग के जरिये सीएचआरआई निरंतर अपने प्राथमिक मुद्दों के प्रचलन के लिए उत्प्रेरक के तौर पर कार्य करती है।

सीएचआरआई नई दिल्ली, भारत में स्थापित है, तथा इसके कार्यालय लन्दन, यू.के. व् एक्क्रा, घाना में स्थित हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार आयोगः यशपाल घई – अध्यक्ष। सदस्यः क्लेयर दोउबे, एलिसन द्क्सबरी, वजाहत हबीबुल्लाह, विवेक मारू, एडवर्ड मोर्तिमेर, सैम ओकुद्ज़ेतो व् माया दारूवाला, निदेशक।

कार्यकारी समिति (भारत): वजाहत हबीबुल्लाह – अध्यक्ष। सदस्यः बी.के. चंद्रशेखर, नितिन देसाई, संजोय हज़ारिका, कमल कुमार, पूनम मुत्तरेजा, रुमा पाल, जैकब पुन्नूज़, ए.पी. शाह व् माया दारूवाला।

कार्यकारी समिति (घाना): सैम ओकुद्ज़ेतो – अध्यक्ष। सदस्यः अकोतो अम्पाव, यशपाल घई, वजाहत हबीबुल्लाह, नेविल लिंटन, कोफ़ी क्वाशिगाह, जूलिएट तुअक्ली व् माया दारूवाला – कार्यकारी निदेशक।

कार्यकारी समिति (यू.के.): क्लेयर दोउबे – अध्यक्ष। सदस्यः रिचर्ड बॉर्न, कैथेरीन ओ'ब्यर्ने, मिनाक्षी धर, जोअन्ना इवार्ट–जेम्स, फ्रांसिस हैरिसन, सदाक़त क़ादरी, नेविल लिंटन, सैषी नाथन, रीता पायने, माइकल स्टोन।

ISBN: 978-93-81241-28-48

© कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, 2015, इस सामग्री का उपयोग स्रोत का उल्लेख किये बिना नहीं किया जा सकता है।

कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

सीएचआरआई मुख्यालय, नई दिल्ली
कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
55ए, तीसरा तल, सिद्धार्थ चैम्बर्स – 1
कालू सराय, नई दिल्ली – 110016
दूरभाषः +91 11 43180200
फैक्सः +91 11 26864688
ईमेलः info@humanrightsinitiative.org

सीएचआरआई लन्दन
रूम न. 219, स्कूल आफ़ एडवांस्ड स्टडी
साउथ ब्लाक, सीनेट हाउस, मलेट स्ट्रीट
लन्दन डब्ल्यूसी1ई 7एचयू, यू.के.
दूरभाषः +44(0) 207 664 4860
फैक्सः +44(0) 207 862 8820
ईमेलः chri.admin@sas.ac.uk

सीएचआरआई अफ्रिका, एक्क्रा
हाउस न. 9, समोरा मछेल
स्ट्रीट एसाइलम डाउन, अपोजिट
बेवर्ली हिल्स होटल, नियर ट्रस्ट टावर्स,
एक्क्रा, घाना
दूरभाष/फैक्सः +233 302 971170
ईमेलः chriafrica@
humanrightsinitiative.org

www.humanrightsinitiative.org

पुलिस कदाचार

पुलिस द्वारा की जाने वाली सामान्य अनियमित्ताएं व् मानकों का उल्लंघन

लेखक
नवाज़ कोतवाल

अनुवाद
उसामा खान

संपादक
माया दारूवाला

कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
2015

यह रिपोर्ट यूरोपीय संघ् द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता से तैयार की गई है। यूरोपीय संघ 28 सदस्य देशों द्वारा बनाया गया संघ है जिसने विधिवत अपने संसाधनों, तकनीकी जानकारियों व् अपनी नियति को क्रमशः जोड़ने का फ़ैसला किया है। इन देशों ने साथ मिलकर पिछले 50 वर्षों में स्थिरता, लोकतंत्र, सतत विकास के क्षेत्र का निर्माण किया है साथ ही साथ सांस्कृतिक विविधता, सहिष्णुता व् व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संतुलन भी बनाये रखा है। यूरोपीय संघ अपनी सीमाओं से परे देशों व् लोगों के साथ अपनी उपलब्धियों व् उसके मूल्यों को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस रिपोर्ट की सामग्री के लिए कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव पूर्णतयः उत्तरदायी है व् किसी भी परिस्थिति में यूरोपीय संघ के अभिमत को नहीं दर्शाती है।

विषय सूची

1. परिचय 1
2. अपराध के प्रकारः संज्ञेय और गैर–संज्ञेय 2
3. प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी) 3
4. तहक़ीकात 8
   क. पंचनामा 9
   ख. पोस्टमार्टम (शव–परीक्षा) 11
   ग. अपराध स्थल 14
   घ. केस डायरी 16
5. गवाहों से पूछ ताछ 21
6. तलाशी व् खोजबीन 23
7. गिरफ़्तारी 29
8. पूछताछ 31
9. ज़मानत 33
10. जांच का समापन 37

परिचय

पुलिस अपराध न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है, और हिंसा व् अपराध से प्रभावित किसी भी व्यक्ति के लिए पहला संबल होता है। यह राज्य की एक सबसे प्रत्यक्ष (सशस्त्र) भुजा भी होती है। इसके बावजूद, सामान्य जनता के रूप में हम पुलिस की शक्तियों, जिम्मेदारियों व् उसकी कार्यप्रणाली व् अपने क़ानूनी अधिकारों के बारे में अल्प ज्ञान रखते हैं। पुलिस कानून के द्वारा बाध्य है व् उसे कानून के अनुरूप ही कार्य करना होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस अपनी शक्तियों का दुरूपयोग न करे, यह आवश्यक है कि हमें पता हो कि पुलिस से व्यवहार के बारे में कानून क्या कहता है व् हमारे अधिकार क्या हैं।

यह किताब पुलिस कार्यप्रणाली से जुड़े प्रमुख पहलुओं को ध्यान में रखते हुए क़ानूनी प्रक्रिया के प्रमुख नियमों (कानूनों) व् मानकों पर प्रकाश डालती है। यह किताब पुलिस प्रक्रिया से जुड़े कदाचार व् अनियमित्ताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालती है, जिससे यह समझने में मदद मिलती है कि पुलिस को क़ानून के अनुरूप किस प्रकार काम करना चाहिए जबकि अक्सर पुलिस द्वारा कानून व् प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया जा रहा है।

अपराध के प्रकारः संज्ञेय व् ग़ैर-संज्ञेय

संज्ञेय अपराध

- वह अपराध जिनमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के तहक़ीकात/तफ़्तीश कर सकती है।

ग़ैर-संज्ञेय अपराध

- वह अपराध जिनकी तहक़ीकात/तफ़्तीश के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट से वारंट हासिल करना ज़रूरी है।

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की प्रथम अनुसूची अपराधों को संज्ञेय व् गैर–संज्ञेय के रूप में वर्गीकृत करती है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़आईआर)

एफ़आईआर क्या है?

- एफ़आईआर, प्रथम सुचना रिपोर्ट है जो कि किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का ज्ञान हो, सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस को दी जाती है। अपराध की रिपोर्ट के नतीजे में प्राथमिकी पंजीकृत होनी चाहिए।
- संज्ञेय अपराध की सूरत में पुलिस को प्राथमिकी पंजीकृत करना चाहिए।
- एफ़आईआर पीड़ित द्वारा, अपराध के साक्षी द्वारा, एक पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे अपराध का ज्ञान हो दायर की जा सकती है।
- जब एफ़आईआर पंजीकृत हो जाए तो पुलिस तहक़ीकात/तफ़्तीश करने के लिए क़ानूनन बाध्य है।
- कोई पुलिस अधिकारी एफ़आईआर पंजीकृत करने से उस स्थिति में भी इंकार नहीं कर सकता जबकि अपराध उसके थाने के अधिकार क्षेत्र से बाहर हुआ हो। वह एफ़आईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है (जिसे शून्य एफ़आईआर कहते हैं) तथा एफ़आईआर को सम्बंधित थाने को भेजना भी उसी की ज़िम्मेदारी है।

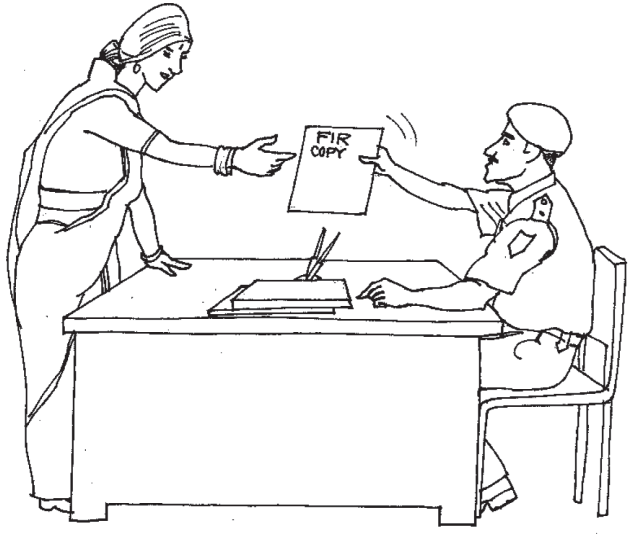

एफ़आईआर पंजीकरण की प्रक्रिया

- एफ़आईआर सूचना लिखित अथवा मौखिक रूप में पुलिस अधिकारी के समक्ष दी जा सकती है।
- अगर आप लिखना नहीं जानते हैं तो पुलिस अधिकारी को आपसे कहना चाहिए की आप घटना का मौखिक वर्णन करें ताकि वह सरलतम शब्दों में, जहां तक संभव हो आपकी भाषा के अनुरूप ही बयान दर्ज करे।
- पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित बयान को आपके समक्ष दोहराना चाहिए।
- सूचना देने वाला व्यक्ति एफ़आईआर पर हस्ताक्षर करेगा। इस पर आप तभी हस्ताक्षर करें जब यह सुनिश्चित कर लें कि पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की गई जानकारी आपके बयान के अनुरूप है।
- भारतीय दंड संहिता (आई पी सी) की धारा 326A, 326B, 354, 354B, 370A, 376, 376A, 376B, 376C, 376D, 376E या 509 के अंतर्गत किसी भी लिंग आधारित यौन अपराध की घटना की एफ़आईआर का पंजीकरण महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, या अगर पीड़िता खुद जानकारी दे रही हो तो एक महिला अधिकारी के द्वारा किया जायेगा। अगर पीड़ित मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम (यहाँ तक कि अस्थाई रूप से भी) तो उसकी एफ़आईआर उसके निवास पर या उसके द्वारा चयनित स्थान पर एक व्याख्याकार/ विशेषज्ञ की उपस्थिति में दर्ज की जायेगी व् इसकी विडियोग्राफी भी की जाएगी।
- एफ़आईआर की प्रति सूचना देने वाले को मुफ्त उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- प्रत्येक एफ़आईआर की तारीख़ व् विवरण पुलिस स्टेशन की जनरल डायरी में दर्ज की जाना चाहिए।

एफ़आईआर दर्ज होने के बाद क्या होना चाहिए?

पुलिस अधिकारी को करना होता है:

- एफ़आईआर जिस दिन पंजीकृत हुई है उसी दिन बिना किसी देरी के एफ़आईआर की एक प्रति संज्ञान लेने के अधिकार के साथ मजिस्ट्रेट के पास भेजना होता है।
- एफ़आईआर की एक प्रति सर्किल इन्स्पेक्टर को तथा एक प्रति ज़िला पुलिस अधीक्षक (एसपी) को भेजना होता है।
- जांच आगे बढ़ानी होती है।

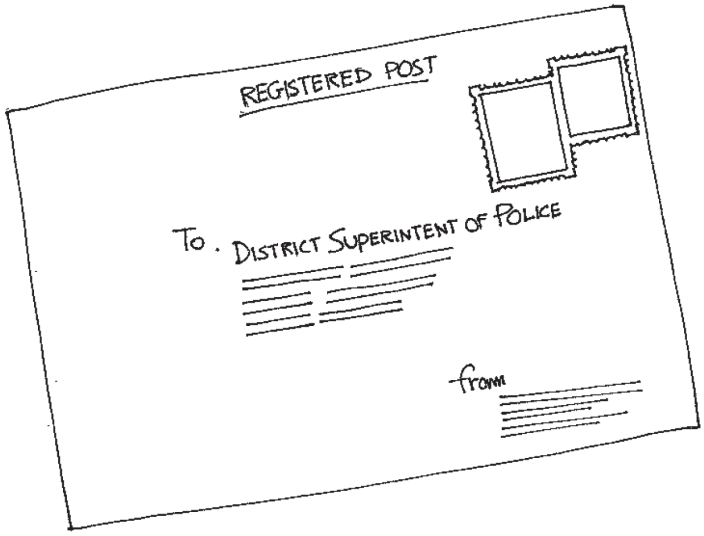

क्या होगा अगर पुलिस अधिकारी एफ़आईआर पंजीकृत करने से मना कर दे?

आप कर सकते हैं:

- घटना की जानकारी ज़िला पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक द्वारा दें, अगर सूचना संज्ञेय अपराध से सम्बंधित है तो पुलिस अधीक्षक स्वयं घटना की जांच कर सकता है या किसी कनिष्ठ अधिकारी को जांच के आदेश दे सकता है।
- अगर पुलिस अधीक्षक कोई कारवाई नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत करें।
- मजिस्ट्रेट केस के बारे में पड़ताल कर सकता है या पुलिस अधिकारी के द्वारा या किसी अन्य अधिकारी जिसे वह उचित समझे, के द्वारा जांच करा सकता है।
- अगर आप महिला हैं व् यौन अपराध से पीड़ित हैं तो आप आईपीसी की धारा 166A(c) के अंतर्गत, आपकी शिकायत न दर्ज करने के दोषी पुलिस अधिकारी के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करा सकती हैं।

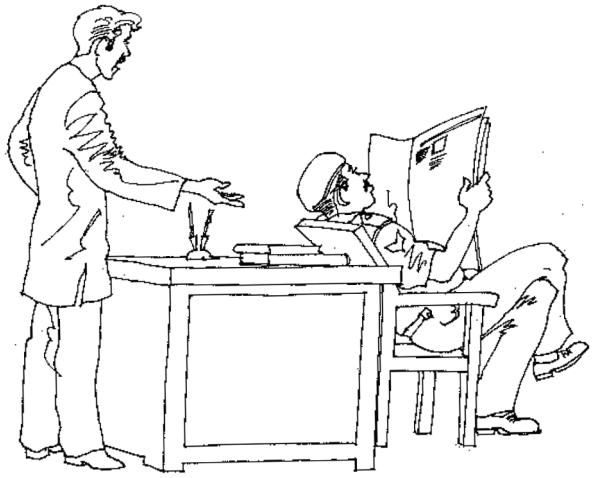

पुलिस द्वारा किये जाने वाले सामान्य कदाचार व् अनियमितताएं

पुलिस अधिकारी कर सकता है:

- एफ़आईआर दर्ज करने से इंकार।
- आप पर विश्वास न करे।
- आपसे रिश्वत की मांग करे।
- आपसे समझौता करने को कहे।
- तथ्यों के साथ छेड़ छाड़।
- आपसे कहे कि मामला ग़ैर - संज्ञेय है।
- आपसे कहे कि आपको एफ़आईआर पर हस्ताक्षर नहीं करना है।
- एफ़आईआर को आपके समक्ष न दोहराए।
- आपको उसकी एक प्रति देने से मना कर दे।
- जनरल डायरी में सूचना की प्रविष्टि न करे।

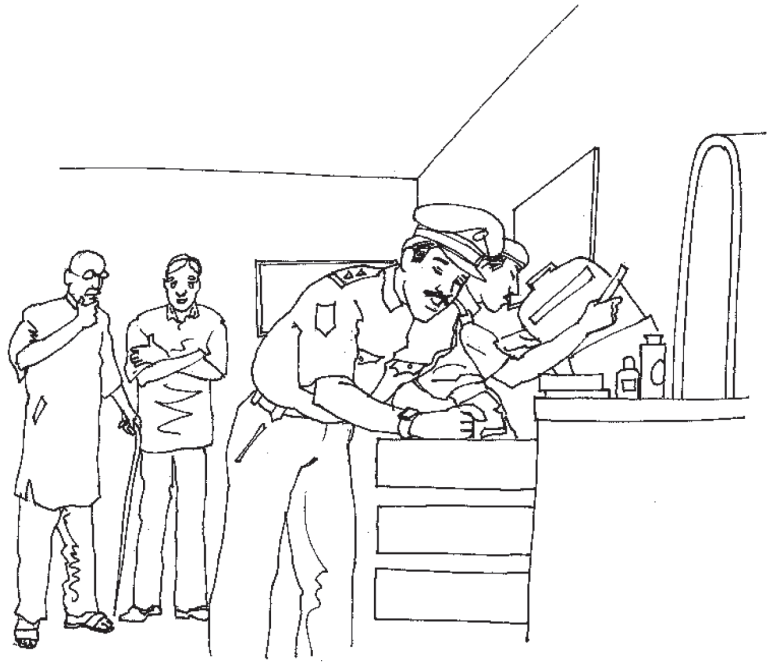

तहक़ीकात

जैसे ही अपराध की सूचना मिले उसके साथ ही, पुलिस अधिकारी को चाहिए कि:

- मामले के तथ्यों पर विचार करे।
- उन पंचों व् विशेषज्ञों को बुलाये जिनकी मदद मामले की जांच पड़ताल में ली जानी है।
- अपराध स्थल पर जायें।
- *पंचनामा* की प्रक्रिया पूरी करें।

पंचनामा क्या होता है?

- यह पंचों द्वारा किये गए निरीक्षण का एक क़ानूनी दस्तावेज़ होता है।
- यह पंचों के नाम, उनकी आयु, व्यवसाय तथा उनके पते के ब्योरे के साथ प्रारंभ होता है।
- इसके अन्दर पंचनामा करने के कारण तथा अपराध स्थल के बारे में सटीक जानकारी होनी चाहिए।
- इसको लिखने के बाद इस पर पंचों के हस्ताक्षर होने चाहिएं।
- इस पर पंचनामा शुरू होने का समय व् तारीख तथा पूर्ण होने की तारिख व् समय होना चाहिए।

पंच होते हैं:

- समुदाय के सम्मानित, स्वतन्त्र व् निष्पक्ष लोग जिन्हें पुलिस द्वारा घटना के विवरण की पुष्टि के लिए बुलाया जाता है।

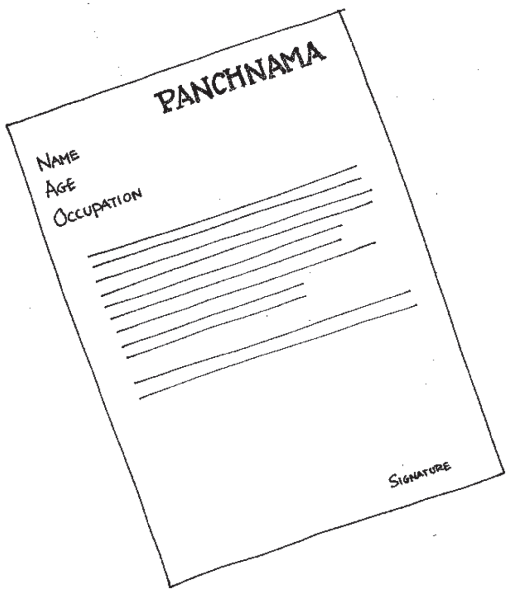

पंचनामा कब (क्यों) किया जाता है?

पुलिस को पंचों की उपस्थिति में पंचनामा करना होता है:

- जब किसी मौत के सिलसिले में तहक़ीकात कर रही हो।
- छान बीन में ज़ब्त की गई वस्तुओं को रिकॉर्ड पर लाने के लिए।

पोस्टमार्टम

पोस्टमार्टम (शव–परीक्षा) क्या होती है?

- मृत्यु के मामले में शव को पंचनामा के उपरांत पोस्टमार्टम (शव परीक्षा) के लिए भेजा जाता है। यह मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किया जाता है।
- केवल एक पुलिस अधिकारी ही जोकि उप–निरीक्षक के पद से नीचे नहीं होना चाहिए, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज सकता है।

पोस्टमार्टम किये जाते हैं:

- जब मौत का कारण पता न हो, अथवा मौत अप्राकृतिक व् संदिग्ध हालत में हुई हो।
- ये पता लगाने के लिए कि मृत्यु महज़ एक दुर्घटना थी या, आत्महत्या अथवा नरसंहार।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या संकेत मिलते हैं?

- मृत्यु का समय।
- मृतक का लिंग।
- मृत्यु का संभावित कारण।

पोस्टमार्टम कैसे किया जाना चाहिए?

- केवल एक प्रमाणित चिकित्सक जिसके पास पुलिस द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र हो, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को कर सकता है. उसका पद अधीनस्थ चिकित्सा अधिकारी से कम नहीं होना चाहिए।
- शव प्राप्त होने के बाद चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक रसीद दी जानी चाहिए।

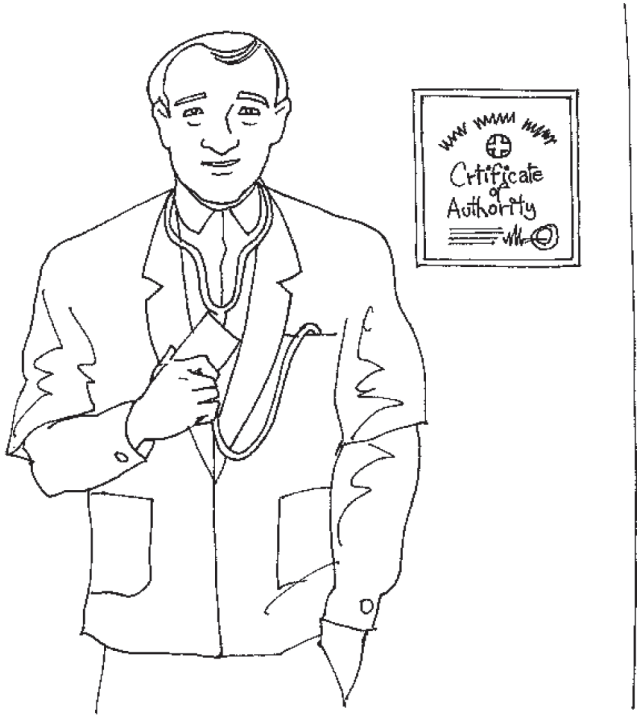

चिकित्सा अधिकारियों के कर्तव्यः

- शव पर मौजूद तमाम आतंरिक व् बाह्य चोटों को विस्तार पूर्वक लिखना चाहिए।
- शव के अन्दर से प्राप्त किसी भी वाह्य वस्तु या पदार्थ का वर्णन विस्तार पूर्वक लिखना चाहिए।
- बरामद किये गए वाह्य पदार्थ/वस्तु को सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखना चाहिए।
- मृत्यु के कारणों को विस्तार पूर्वक लिखना चाहिए।
- सम्बंधित थाने व् पुलिस अधीक्षक को इसकी एक प्रति भेजनी चाहिए।

पुलिस अधिकारी व् चिकित्सा अधिकारी सम्मिलित रूप से पोस्टमार्टम करने के लिए ज़िम्मेदार हैं।

पोस्टमार्टम प्रक्रिया के उपरांत मृतक का शव मृतक के सम्बन्धियों को दिया जाना चाहिए।

सामान्य कदाचार

सामान्यतः पोस्टमार्टमः

- अपराध स्थल पर ही कर दिए जाते हैं।
- सामान्यतः कम्पाउंडर अथवा ग़ैर–चिकित्सा स्टाफ़ द्वारा कर दिए जाते है।
- अपर्याप्त समय में ही कर दिया जाता है।
- बिना विस्तृत जांच पड़ताल के ही प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है।
- शरीर काटे जाने के बाद उसे दोबारा ठीक से सिला नहीं जाता है।

तफ़्तीश

अपराध स्थल पर एक पुलिस अधिकारी को करना चाहियेः

- उस गवाहों से संपर्क करे जिनके पास अपराध से जुड़ी जानकारी हो सकती है।
- अपराध स्थल की तस्वीरें लेनी चाहिए।
- अपराध स्थल पर अपराधी की उँगलियों व् पैरों के निशान तलाश करे व् उनको इकठ्ठा करे।
- फॉरेंसिक विशेषज्ञों को सबूत इकट्ठा करने के लिए अपराध स्थल पर बुलाये।
- हत्या जैसे गंभीर मामलों की जांच में पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद ले।
- अपराध स्थल का एक विस्तृत मानचित्र बनाये।

अपराध स्थल पर एक पुलिस अधिकारी को करना चाहियेः

- सबूतों को इकठ्ठा करे व् यह सुनिश्चित करे कि सबूत ग़ायब न हों व् उनके साथ कोई छेड़ छाड़ न की जाए।
- अपराध स्थल को सील कर दे।
- बरामद की गई तमाम वस्तुओं व् सबूतों को *मुद्दमल* नामक रजिस्टर में दर्ज करे।
- घायलों को प्राथमिक चिकित्सा मुहैय्या कराये व् गंभीर रूप से घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराये।
- शव/शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजे।
- तहक़ीकात/तफ़्तीश में की गईं तमाम प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन केस डायरी में करे।

केस डायरी

केस डायरी क्या है?

- यह जांच अधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले में जांच में की गई प्रक्रियाओं व् उठाये गए क़दम का उसकी अपनी हस्त–लिपि में लिखा गया विस्तृत लेखा जोखा है।
- यह जांच प्रक्रिया के दौरान प्रति दिन आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।
- जांच अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए की केस डायरी हर समय उनके पास सुरक्षित अभिरक्षा में है।
- यह दैनिक आधार पर पर्यवेक्षक अधिकारी के पास भेजी जानी चाहिए। यह पर्यवेक्षक अधिकारी की ज़िम्मेदारी है कि वह केस डायरी का निरिक्षण करे, जांच पड़ताल की प्रगति का निरीक्षण करे तथा जहां आवश्यक हो सलाह भी दे।

संक्षेप में, केस डायरी में होता है

- क्रमांकित पृष्ठ
- घटना की सूचना प्राप्त होने का समय
- जांच शुरू होने व् समाप्त होने के समय का विवरण
- निरीक्षण किये गए स्थान व् उन स्थानों पर बिताये गए समय का विवरण
- शिकायतकर्ता व् सभी आरोपियों का विवरण
- गिरफ्तारियों का विवरण
- जांच पड़ताल में की गई सभी प्रक्रियाओं का विवरण
- अपराध स्थल/स्थलों का मानचित्र के साथ सम्पूर्ण विवरण
- जांच किये गए सभी व्यक्तियों का विवरण – गवाह, संदिग्ध व् अभियुक्त
- जांच का आधार, तमाम तलाशियों व् बरामद की गई वस्तुओं का विवरण
- तमाम पक्षों व् सुरागों का विवरण, सत्यापित करने के लिए उठाये गए क़दम व् परिणामो का विवरण
- पर्यवेक्षी अधिकारियों से प्राप्त सलाह व् आदेशों का विवरण
- मामले से जुड़े सभी पुलिस अधिकारियों के नाम

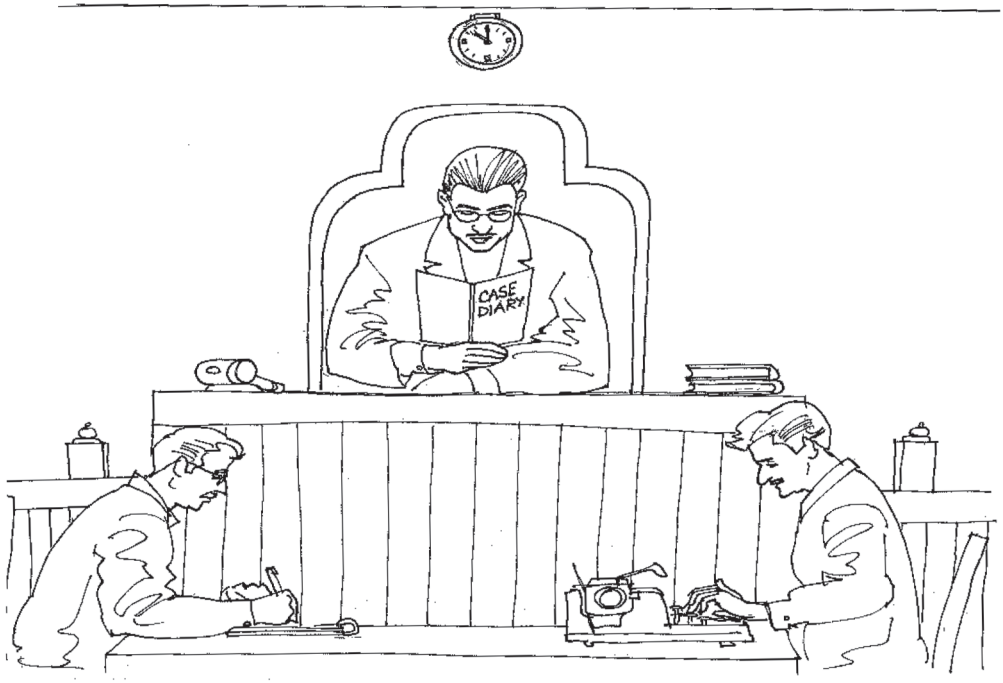

केस डायरी का उपयोग किस कार्य में नहीं किया जा सकता

- ना अभियुक्त ना ही शिकायतकर्ता केस डायरी की प्रति हासिल करने का हक़दार है।
- केस डायरी का उपयोग केवल जांच अधिकारी द्वारा कोर्ट में पड़ताल के दौरान अपनी याद्दाश्त को ताज़ा करने के लिए किया जाता है।
- यह अदालत में सबूत के रूप में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। लेकिन अदालत में जांच के दौरान सहायता के लिए इसको प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है।

केस डायरी अदालत द्वारा मंगाई जा सकती है;

- जानने के लिए कि जांच प्रक्रिया ठीक तरीके से पूरी की गई है।
- ऐसे गवाहों को बुलाने के लिए जिनका उल्लेख अभियोजन पक्ष द्वारा उपलध कराई गई सूची में नहीं है।
- केस में सहायता के लिए अन्य प्रासंगिक तथ्यों/सामग्री को रिकार्ड पर लाने के लिए।
- मामले की सुनवाई से जुड़े अन्य तथ्यों को रिकार्ड पर लाने के लिए जिनसे फ़ैसले में मदद मिल सकती है।

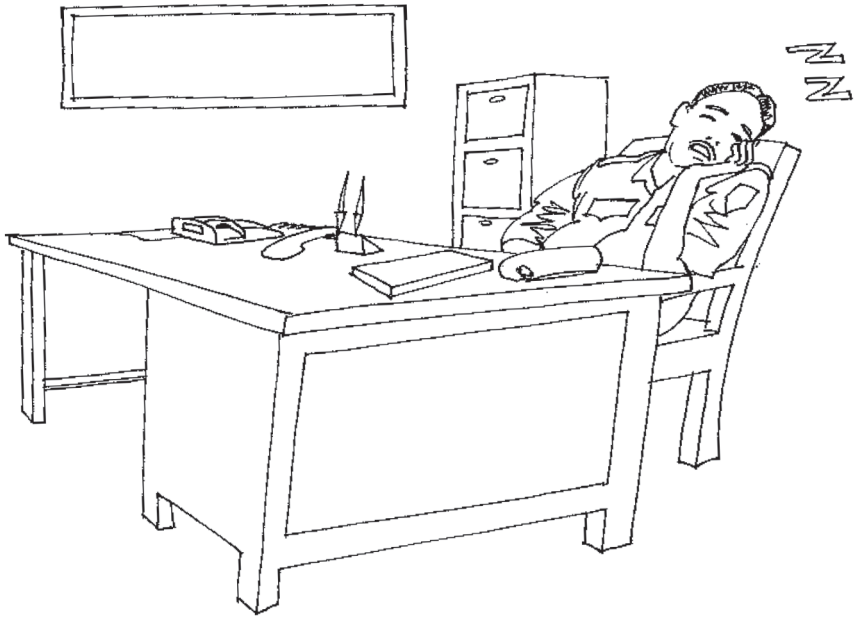

सामान्य कदाचार व् अनियमितताएं

सामान्यतः क्या होता है

पुलिस सामान्यतः;

- पुलिस अपराध स्थल पर आराम/विलम्ब से पंहुचती है।
- अपराध स्थल को सुरक्षित व् संरक्षित नहीं किया जाता।
- प्रक्रिया के अनुसार पंचनामा नहीं किया जाता।
- अपराध स्थल से बरामद की गई वस्तुओं को *मुद्दमल* रजिस्टर में पंजीकृत नहीं किया जाता।
- बरामद की गई वस्तुओं को सील करके सुरक्षित नहीं किया जाता, परिणाम स्वरूप सबूत अविश्वसनीय हो जाते हैं तथा अपराधी दोषमुक्त हो जाते हैं।
- बरामद सामग्री को विश्लेषण के लिए नहीं भेजा जाता फलस्वरूप वे थाने के मालखाने में पड़ी रहती हैं। परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो जाते हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों/गवाहों से पूछताछ

किसके द्वारा, कब व् कहां

एक प्रत्यक्षदर्शी/गवाह अभियुक्त नहीं होता है। एक प्रत्यक्षदर्शी/गवाह से पुलिस द्वारा तभी पूछताछ की जाती है जब उसके पास अपराध से जुड़ी जानकारी हो/अथवा किसी प्रासंगिक तत्थ्य की जानकारी हो।

किसके द्वारा:

- जांच अधिकारी के द्वारा।
- हेड कांस्टेबल से कम पद का कोई अधिकारी प्रत्यक्षदर्शी/गवाह से पूछताछ नहीं कर सकता।

कहां:

- प्रत्यक्षदर्शी/गवाह को थाने में पूछताछ के लिए केवल लिखित आदेश देकर ही बुलाया जा सकता है।
- 15 साल से कम आयु के बच्चे, महिलाओं, 65 वर्ष से ऊपर के किसी भी व्यक्ति, अथवा मानसिक व् शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने पर नहीं बुलाया जा सकता है। उनसे पूछताछ केवल उनके घर में व् उनके सम्बन्धियों/दोस्तों की उपस्थिति में ही की जा सकती है।

कैसे:

- एक प्रत्यक्षदर्शी/गवाह से पूछताछ घटना के तुरंत बाद ही हो जानी चाहिए जबकि उनकी याददाश्त ताज़ा हो।
- प्रत्यक्षदर्शी/गवाह से पूछताछ/छानबीन विस्तार के साथ किया जाना चाहिए।
- प्रत्यक्षदर्शी/गवाह का बयान उस भाषा में दर्ज होना चाहिए जो वह जनता हो।
- पुलिस के द्वारा प्रत्यक्षदर्शी/गवाह को रिश्वत देकर, डरा धमका कर, अथवा धमकी देकर बयान देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।
- प्रत्यक्षदर्शी/गवाह द्वारा पुलिस को दिए गए बयान पर प्रत्यक्षदर्शी/गवाह के हस्ताक्षर नहीं लिए जा सकते हैं।

तलाशी

तलाशी लेने की खुली छूट नहीं हैं

क़ानून के अनुसार पुलिस को किसी व्यक्ति अथवा स्थान की तलाशी लेने की खुली छूट नहीं है। तलाशी की कार्यवाई बहुत ही नियंत्रित परिस्थितियों में की जानी चाहिए। एक सामान्य मछली पकड़ने जैसी तलाशी की प्रक्रिया की अनुमति नहीं है।

लेकिन पुलिस मजिस्ट्रेट से वारंट प्राप्त करके अथवा बिना वारंट के भी तलाशी कर सकती है अगरः

- पुलिस अधिकारी को यह यकीन हो कि जांच के लिए यथोचित प्रासंगिक सामग्री किसी निर्दिष्ट स्थान पर पाई जा सकती है।
- उस सामग्री को बिना देर किये सुरक्षित करना आवश्यक है।

तलाशी की प्रक्रिया किस प्रकार की जा सकती है?

पुलिस अधिकारी को चाहिए किः

- सामग्री व् स्थान का उल्लेख करे जिसकी तलाशी ली जानी है।
- तलाशी के कारणों का उल्लेख करे।
- यह सभी विवरण मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करे, जो कि वारंट जारी करेगा।

तलाशी का वारंट/सर्च वारंट

तलाशी के वारंट में क्या–क्या शामिल होना चाहिए?

- तलाशी करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम व् उसके पद का विवरण।
- जिस जगह की तलाशी होनी है उसका विवरण।
- तलाशी का कारण।
- पुलिस अधिकारी को दिए गए अधिकारों का विवरण, अगर आवश्यक हो जाए तो परिसर में प्रवेश के लिए उचित बल का प्रयोग करने का अधिकार व् अपराध से सम्बंधित सामग्री ज़ब्त करने का अधिकार।
- वारंट जारी करने की तारीख़।
- अदालत की मुहर व् मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर।

इन प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए

पुलिस अधिकारी को करना होगाः

- परिसर के मालिक को तलाशी वारंट की एक प्रति देनी होगी।
- तलाशी की निगरानी/गवाही के लिए इलाक़े के दो या दो से अधिक सम्मानित व्यक्तियों को बुलाना होगा।
- गवाहों की मौजूदगी में तलाशी की प्रक्रिया होगी।
- तमाम ज़ब्त की गई सामग्रियों की एक सूची बनानी होगी व् उस पर गवाह के हस्ताक्षर लेने होंगे।

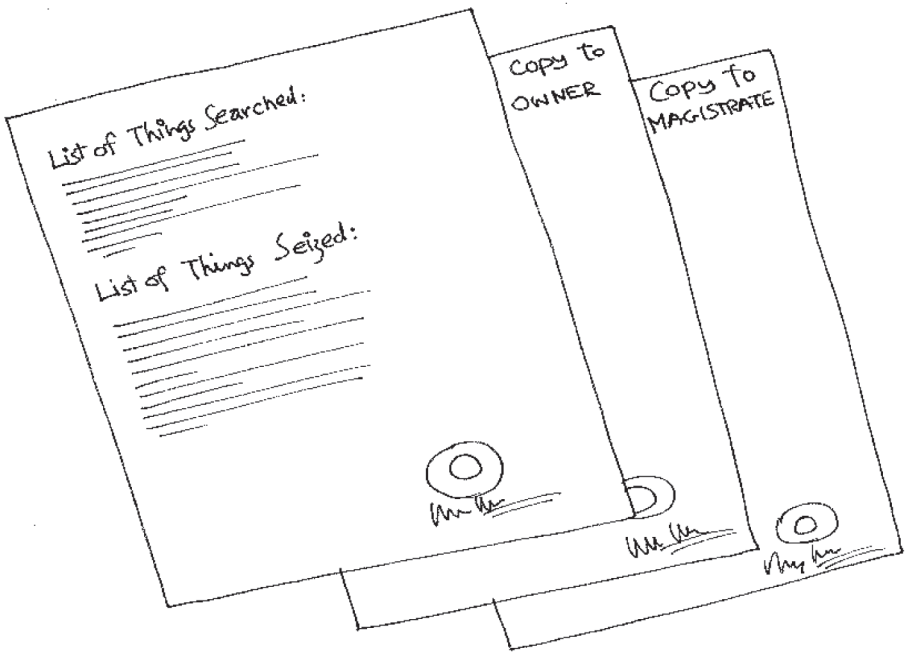

पुलिस अधिकारी को करना होगाः

- परिसर के मालिक को तलाशी के समय वहां उपस्थित रहने की अनुमति देनी होगी।
- तलाशी लिए गए सामानों व् ज़ब्त की गई सामग्रियों की एक सूची परिसर मालिक को देनी होगी।
- तलाशी की प्रक्रिया सूर्यास्त से पहले की जाए।
- अगर तलाशी रात के समय की जाती है तो इसकी आवश्यकता के कारण दर्ज किये जाएं।
- ज़ब्त की गई सामग्री की रिपोर्ट उसी दिन मजिस्ट्रेट को दी जाए।

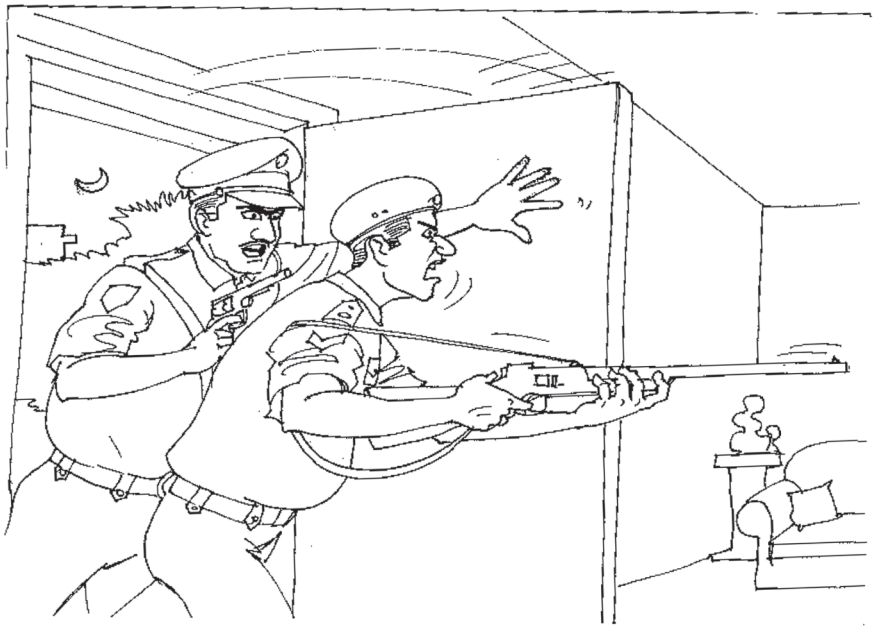

सामान्य कदाचार/अनियमित्तायें

पुलिस सामान्यतः

- अनावश्यक बल प्रयोग करते हुए आपके घर में घुस जाती है।
- आपको तलाशी के लिए आवश्यक वारंट नहीं दिखाती है।
- गवाहों को मौक़े पर नहीं बुलाती है।
- परिसर के मालिक को तलाशी के समय उपस्थित रहने की अनुमति नहीं देती है।
- तलाशी लिए गए व् ज़ब्त किये गए सामानों की सूची नहीं बनाती है। अक्सर तलाशी के दौरान मिली नक़दी व् कीमती वस्तुएं पुलिस उठा ले जाती है।
- आधी रात के समय तलाशी लेती है।

गिरफ़्तारी

गिरफ़्तारी की प्रक्रिया

गिरफ़्तारी के समय पुलिस को करना चाहिएः

- गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को तुरंत उसकी गिरफ़्तारी के कारणों से अवगत कराए।
- गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को सूचित करे कि वह वकील से परामर्श कर सकता है व् वकील द्वारा अपना बचाव कर सकता है। अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति सामर्थ न होने की वजह से वकील का इंतज़ाम नही कर सकता तो वह मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकारी होगा।
- गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करे।
- 7 साल तक की सज़ा वाले किसी भी अपराध में अभियुक्त किसी भी अपराधी के सिलसिले में सीआरपीसी (CrPc) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करे।
- गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को सूचित करे कि वह ज़मानत ले सकता/सकती है अगर उसे ज़मानती अपराध में गिरफ़्तारी किया गया है।
- गिरफ़्तारी के सिलसिले में, गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के सम्बन्धी/दोस्त को सूचित किया जाए, तथा जिस व्यक्ति को जानकारी दी गई है उसका नाम व् संपर्क विवरण जनरल डायरी में दर्ज किया जाए।
- गिरफ़्तारी की तारीख़, समय व् स्थान को रिकार्ड करने के लिए गिरफ़्तारी का मेमो तैयार किया जाए और उस पर कम से कम एक स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर लिए जाएं।
- गिरफ़्तारी के समय ही गिरफ़्तार व्यक्ति को एक सरकारी चिकित्सा अधिकारी के पास चिकित्सकीय परिक्षण के लिए भेजा जाए। चिकित्सकीय परिक्षण रिपोर्ट की एक प्रति गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को दी जाए।

- गिरफ़्तारी को जनरल डायरी, केस डायरी व् गिरफ़्तारी के रजिस्टर में दर्ज किया जाए।
- अगर गिरफ़्तार किया गया व्यक्ति "निरिक्षण मेमो" की मांग करता है तो निरक्षण मेमो पर उसकी शारीरिक अवस्था (सभी छोटी बड़ी चोटों) को दर्ज किया जाए। इसकी एक प्रति गिरफ़्तार किये गए व्यक्ति को दी जाए।
- हर गिरफ़्तारी के लिए ज़िला/राज्य पुलिस मुख्यालय के पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया जाए।

गिरफ़्तार किये गए व्यक्ति की तलाशी गवाहों के सामने होनी चाहिए। गिरफ़्तार किये गए व्यक्ति के पास से बरामद सभी सामान पुलिस की सुरक्षा में रखा जाना चाहिए। इन सभी सामानों की एक रसीद गिरफ़्तार किये गए व्यक्ति को दी जानी चाहिए।

हथकड़ी का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जबकि पुलिस अधिकारी को यह विश्वास हो कि गिरफ़्तार किया गया व्यक्ति हिरासत से भागने का प्रयास कर सकता/सकती है, अथवा स्वयं को व् दूसरों को ज़ख़्मी कर सकता/सकती है।

गिरफ़्तार किये गए व्यक्ति के पास से ज़ब्त किया गया असलहा/हथियार पंचनामा में दर्ज किया जाना चाहिये व् अदालत को सौंप दिया जाना चाहिए।

प्रार्थना/पूजा स्थल से कोई गिरफ़्तारी नहीं की जा सकती है।

किसी महिला को सूर्यास्त व् सूर्योदय के मध्य गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, केवल असाधारण परिस्थितियों में न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के साथ ही ऐसा किया जा सकता है।

गिरफ्तार की गई महिला की तलाशी एक महिला पुलिस अधिकारी ही ले सकती है अथवा कोई और महिला अधिकारी शालीनता का सख्ती से अनुपालन करते हुए तलाशी ले सकती है।

पूछताछ

उस व्यक्ति के अधिकार जिससे पूछताछ की जा रही हो

- आपको चोट नहीं पंहुचाई जा सकती, आपको मारा नहीं जा सकता, आपको डराया व् धमकाया नहीं जा सकता।
- आप पूछताछ के दौरान वकील की उपस्थिति के लिए आग्रह कर सकते हैं।
- आप उन सवालों का जवाब देने से इंकार कर सकते हैं जो आपके ख़िलाफ़ जा सकते हों।
- आपको एक चिकित्सक के समक्ष ले जाना चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप पर किसी प्रकार की हिंसा का प्रयोग तो नही हुआ है।

सामान्य कदाचार/अनियमित्ताएं

वास्तव में क्या होता है

पुलिस सामान्यतः

- अनावश्यक बल प्रयोग करती है।
- व्यक्ति को यह नहीं बताती कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है।
- गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को हथकड़ी लगा देती है।
- गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं करती है।
- गिरफ्तारी को तुरंत दर्ज नहीं करती है अपितु बाद की किसी तारीख़ में दर्शाती है, तथा झूठी तारीख़ से 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करती है।
- गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के सम्बन्धी/मित्र को गिरफ्तारी के बारे में सूचना नहीं देती है।
- गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को यह नहीं बताती है कि वह एक वकील उपस्थित रख सकता है।
- थर्ड डिग्री टोर्चेर के तरीकों का प्रयोग करती है।

अगर आप इस प्रकार के शक्ति के दुरूपयोग का शिकार हुए हैं, तो आप कर सकते हैं:

- व्यक्तिगत रूप से अथवा लिखित रूप से पुलिस अधीक्षक के समक्ष इसकी शिकायत कर सकते हैं।
- सम्बंधित मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- आप अपने राज्य में मानवाधिकार आयोग से इसकी शिकायत कर सकते हैं, अगर आपके राज्य में आयोग नहीं है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष इसकी शिकायत कर सकते हैं।
- यदि आपके राज्य में पुलिस शिकायत प्राधिकरण है तो उसके समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- अपने राज्य के उच्च न्यायलय अथवा उच्चतम न्यायलय में रिट याचिका दायर कर सकते हैं।
- उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध एफ़आरआई दर्ज करा सकते हैं जिसने आपको ग़ैर–क़ानूनी तरीकें से गिरफ्तार किया हो या हिरासत में लिया हो।

ज़मानत

- ज़मानत किसी गिरफ्तार व्यक्ति की निश्चित शर्तों पर हिरासत से रिहाई की प्रक्रिया है।
- इन शर्तों में सामान्यतः ये शामिल होता है कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति बुलाये जाने पर अदालत अथवा पुलिस के समक्ष हाज़िर होगा।
- गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत द्वारा तय की गईं सभी शर्तो का पालन करना होगा।

क्या ज़मानत एक अधिकार है?

- हां, कुछ मामलों में। यह इस बात पर निर्भर करता हैं कि अपराध ज़मानती अथवा ग़ैर–ज़मानती प्रकृति का है। सीआरपीसी (CrPc) की प्रथम अनुसूची, भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों का ज़मानती व् ग़ैर–ज़मानती श्रेणी में वर्गीकरण करती है।

''आपको जिस अपराध में हिरासत में लिया गया है, अगर आप उसमें निर्दिष्ट अधिकतम कारावास की अवधि, का आधा समय हिरासत में गुज़ार चुके हैं तो, आपको निजी मुचलके (Bond) व् प्रतिभूति अथवा केवल निजी मुचलके (Bond) पर अदालत के द्वारा रिहा किया जा सकता है। अगर आप ऐसे अपराध में अभियुक्त हैं जिसमें सज़ा मृत्यु–दण्ड है, तो यह लागू नहीं होता।''

ज़मानती श्रेणी के अपराध हैं:

- कम गंभीर श्रेणी के अपराध – अधिकतर अपराध जिनमें तीन वर्ष तक की कारावास की सज़ा हो सकती है ज़मानती श्रेणी के अपराध हैं।

अगर आप ज़मानती श्रेणी के अपराध में गिरफ्तार हुए हैं तो:

- आपका यह अधिकार है कि आप गिरफ़्तारी के तुरंत बाद ज़मानत पर रिहा हों, व् गिरफ़्तार करने वाले अधिकारी को इस अधिकार के बारे में आपको सूचित करना चाहिए।
- आप अदालत के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद मुचलके (bond) प्रतिभूति (sureties) के साथ अथवा इसके बग़ैर, रिहा हो सकते हैं। यदि आप ज़मानत लेने के लिए सामर्थ नही होते हैं तो आपको प्रतिभूति (sureties) के बगैर मुचलका (bond) देने पर रिहा कर दिया जायेगा।
- अगर आप अपनी गिरफ़्तारी के एक हफ्ते के अंदर ज़मानत नही ले पाये तो यह वजह काफी होगी पुलिस व कोर्ट के मानने लिए की आप ज़मानत लेने के लिए सामर्थ नही है और आपको उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार रिहा कर देना चाहिए।
- आपको अदालत को यह आश्वस्त कराना होगा कि आप समाज से जुड़े व्यक्ति हैं व् आप भाग नहीं जायेंगे।

अथवा

- आप समाज के किसी सम्मानित व्यक्ति से यह गारंटी दिला सकते हैं की आप भागेंगे नहीं, अगर आप भाग जाते हैं तो, गारंटर को ज़मानत की राशि का भुगतान करना होगा।

ग़ैर-ज़मानती अपराध

ये हैं:

- आमतौर पर अधिक गंभीर अपराध जिनमें तीन वर्ष से अधिक की कारावास की सज़ा का प्रावधान हो, जैसे – हत्या, बलात्कार व् डकैती।
- ग़ैर–ज़मानती अपराध में ज़मानत देना अदालत के विवेक पर निर्भर करता है।

आप ज़मानत के लिए किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं?

- आपको ज़मानत के लिए अदालत में आवेदन करना होगा।
- अदालत में ज़मानत याचिका पर सुनवाई होगी।
- अदालत में अभियोजन पक्ष का वकीलः
  - इस आधार पर ज़मानत का विरोध कर सकता है कि आप सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों को डरा धमका सकते हैं।
  - कुछ शर्तों के साथ ज़मानत के लिए सहमत हो सकता है।
- बचाव पक्ष का वकील आपके पक्ष में यह दलील देगा किः
  - आप पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं।
  - आप समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं व् आप भाग नहीं जायेंगे।
  - आप ज़मानत के लिए निर्धारित सभी शर्तों का सम्मान करेंगे।

ज़मानत देने के लिए आधार

अदालत को ज़मानत देने से पहले निम्नलिखित पर विचार करना चाहिएः

- अपराध की गंभीरता।
- कहीं आप ज़मानत पर रिहा होकर भाग तो नहीं जायेंगे।
- कहीं आप सबूतों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं करेंगे।

ज़मानत के साथ निम्नलिखित शर्तें लगाई जा सकती हैंः

- आपसे नियमित अंतराल पर पुलिस थाने में हाज़िर होने के लिए कहा जा सकता है।
- पूछताछ के लिए आपको पुलिस के साथ सहयोग करना होगा।
- जब कभी भी बुलाया जाए, आपको अदालत के सामने पेश होना होगा।
- आप देश छोड़ कर नहीं जायेंगे तथा आपको अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा।

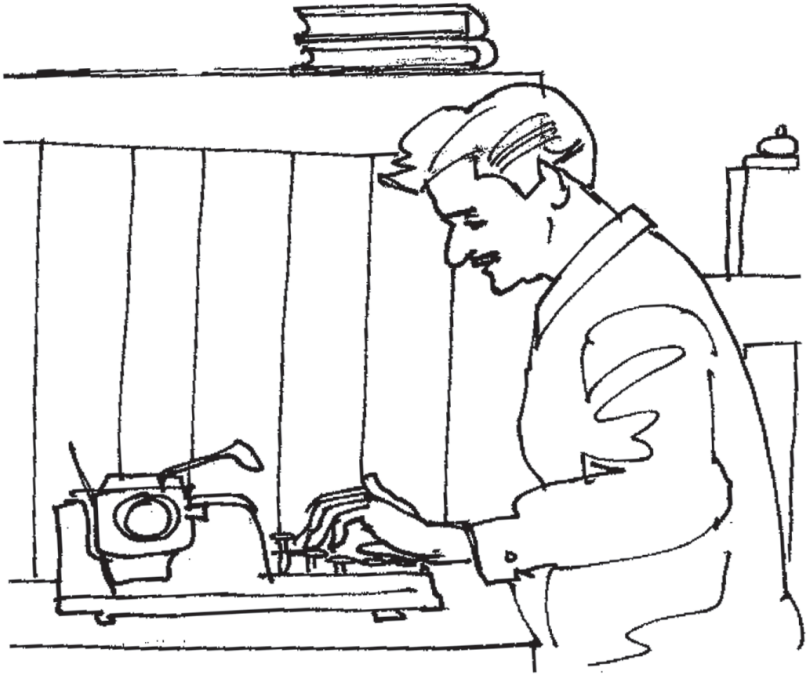

जांच का समापन

जब जांच पूरी हो जाती है तबः

- सरकारी वकील के माध्यम से अदालत में आरोप पत्र दायर किया जाता है।

  अथवा

- पुलिस अंतिम रिपोर्ट दाख़िल करेगी।

लोक अभियोजक व् बचाव पक्ष को सुनने के पश्चात्:

- अदालत आरोप पत्र को खारिज कर सकती है व् आरोपी बरी हो जायेगा।

  अथवा

- अदालत केस को स्वीकार कर सकती है, आरोप तय कर सकती है व ट्रायल की इजाज़त दे सकती है।

आरोप पत्र

तहकीकात का एक सम्पूर्ण अभिलेख

इसमें क्या–क्या शामिल होता है:

- सभी पक्षों व् गवाहों के नाम।
- अपराध/मामले की प्रकृति।
- गिरफ़्तार करने वाले अधिकारी का नाम।
- क्या आरोपी को बांड पर रिहा किया गया है।
- फ़रार आरोपियों के नाम व् पते (लाल स्याही से चिन्हित)।
- बरामद पदार्थ व् सामग्री का वर्णन।
- आरोप, अपराध व् क़ानून की धाराओं के साथ विवरण।
- यह प्रतिबद्धता प्रकट हो कि क्या वाक़ई अपराध घटित हुआ है, अगर हुआ है, तो किसके द्वारा।

आरोप पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए:

- एफ़आईआर की प्रति।
- सभी दस्तावेज़, रिपोर्ट, व् प्रासंगिक सार जिनपर अभियोजन पक्ष विश्वास/आश्रय करता हो।
- गवाहों के सभी बयानात।
- कोई हथियार या सामग्री जिसकी सबूत के रूप में अहमियत हो।

अंतिम रिपोट

अंतिम रिपोट तब प्रस्तुत की जाती है जबकिः

- पुलिस को यह विश्वास हो जाए कि अभियुक्त के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
- अभियुक्त पर कोई केस नहीं बनता है कि उसपर मुक़दमा चलाया जा सके।
- केस तो कायम हो सकता है मगर आरोपी की पहचान स्थापित नहीं की जा सकती।

अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद अदालत क्या कर सकती है?

- अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करके केस को बंद कर दे व् आरोपी को बरी कर दे।
- अन्तिम रिपोर्ट को ख़ारिज कर दे तथा पुलिस को केस में पुनः जांच करने का आदेश दे।
- आरोप तय करते हुए मुक़दमा शुरू करने का निर्देश दे।

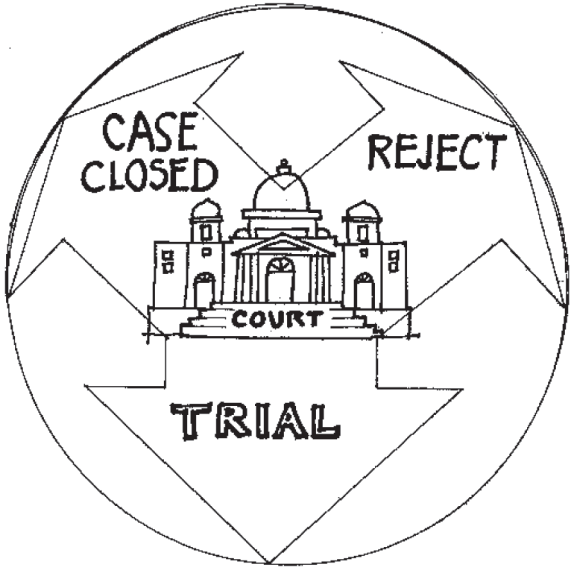

नोट

सीएचआरआई कार्यक्रम

सीएचआरआई का कार्य इस विश्वास पर आधारित है कि मानवाधिकार, वास्तविक लोकतंत्र व् विकास की कल्पना को लोगों के सामने जीवंत करना है, जिसके लिए राष्ट्रमंडल एवं सदस्य देशों के भीतर उच्च मानकों व् कार्यात्मक तंत्र को बनाये रखने के लिए जवाबदेही व् भागीदारी होनी चाहिए। *सीएचआरआई* मानवाधिकार, न्याय की उपलब्धता व् सूचना तक पहुँच पर रणनीतिक पहल व् वकालत के जरिये इस मान्यता को और आगे बढाती है। *सीएचआरआई* इस क्रिया को अनुसन्धान, प्रकाशन, कार्यशालाओ, सूचना प्रसार व् वकालत के माध्यम से करती है।

न्याय तक पहुँच

पुलिस व्यवस्था में सुधारः अधिकतर देशों में पुलिस को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाली शक्ति के बजाये इसे राज्य की एक दमनकारी शक्ति के रूप में देखा जाता है, फलस्वरूप नागरिक अधिकारों का शोषण होता है व् अन्याय के रूप में सामने आता है। सीएचआरआई पुलिस व्यवस्था में सिलसिलेवार सुधारों की वकालत करती है ताकि पुलिस कानून के रक्षक के तौर पर कार्य करे बजाये इसके कि वर्तमान सरकार के उपकरण के तौर पर काम करे। *सीएचआरआई* भारत में पुलिस प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक जागरूकता पर काम कर रही है। पूर्वी अफ्रीका व् घाना में *सीएचआरआई* पुलिस व्यवस्था और इसमें राजनैतिक हस्तक्षेप की निगरानी कर रही है।

जेल व्यवस्था में सुधारः *सीएचआरआई* जेल की पारंपरिक संवृत व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने व् उसमें प्रचलित अनियमित्ताओं को उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत एक बड़ा कार्य क़ानूनी प्रणाली की विफलता को उजागर करना है जिसकी वजह से जेलें सीमा से अधिक भरी हुई हैं और लोगों को मुक़दमे के पहले लम्बे समय तक जेलों में रखा जाता है, *सीएचआरआई* इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हस्तक्षेप करती है। *सीएचआरआई* जेल निगरानी प्रणाली पर भी ध्यान केन्द्रित करती है जोकि पूरी तरह विफल हो चुकी है। हमारा यह विश्वास है कि इन मुद्दों पर ध्यान देने से जेल व्यवस्था में सुधार आएगा ओर उसका बराबर असर न्याय व्यवस्था पर भी आएगा।

सूचना तक पहुँच

सीएचआरआई राष्ट्रमंडल में सूचना तक पहुँच को बढ़ावा देने के लिए मुख्य संगठनों में से एक संगठन के रूप में कार्य कर रही है। इसको राष्ट्रमंडल देशों में जानकारी हासिल करने से जुड़े क़ानूनों को बनाने व् उसे प्रभावी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। हम निरंतर तौर पर क़ानून के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं और हमें भारत, बांग्लादेश व् घाना में सूचना के अधिकार को बढ़ावा देने में विशेष सफलता मिली है, जहां पर हम *आरटीआई* व् सामाजिक संगठनों के गठबंधन के लिए तत्पर रहे हैं। हम नियमित रूप से नए बिलों की आलोचना करते हैं व् सरकार व् नागरिक संगठनो के संज्ञान में सर्वोत्तम प्रथाओं को लाते हैं, यह प्रक्रिया क़ानून बनने से पहले व् उसके पहली बार लागू होने से पहले की जाती है। *सीएचआरआई* का प्रतिकूल वातावरण व् सांस्कृतिक रूप से विविध कार्य सीमाओं में काम करने का अनुभव उन देशों को बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो सूचना अधिकार के नए क़ानून बनाने व् लागू करने के लिए प्रयत्नरत हैं। उदाहरण के लिए घाना में हम सूचना अधिकार के तहत सूचना की उपलब्धता के महत्व को उजागर कर रहे हैं जोकि क़ानून द्वारा निर्दिष्ट है साथ ही साथ हम एक प्रभावी व् प्रगतिशील क़ानून के लिए ज़ोर दे रहे हैं। घाना में जब भी सूचना की उपलब्धता के क़ानून के अस्तित्व में आने के संकेत मिलते हैं हम समानांतर रूप से सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने व् क़ानून निर्माण पर इस प्रकार नज़र रखते हैं की क़ानून पर मुख्यतः व्यवस्था की जवाबदेही की जांच हो सके – विशेष रूप से पुलिस की कार्यप्रणाली व् अपराधिक न्याय प्रणाली के कार्यक्षेत्र में।

रणनीतिक पहल कार्यक्रम

सीएचआरआई सदस्य देशों में मानवाधिकार दायित्वों के अनुपालन पर नज़र रखता है व् जहां पर उल्लंघन हुआ हो वहां पर मानवाधिकारों की अत्यावश्यकता की वकालत करता है। *सीएचआरआई* रणनीतिक तरीक़े से क्षेत्रीय व् अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संलग्न है जिनमे. "राष्ट्रमंडल मंत्री स्तरीय कार्य समूह", संयुक्त राष्ट्र व् "अफ्रीकन कमीशन फॉर ह्यूमन एंड पीपल्स राईट" शामिल हैं। वर्तमान में चल रही रणनीतिक पहल में शामिल है राष्ट्रमंडल में बदलाव/सुधार की वकालत व् उसकी निगरानी, राष्ट्रमंडल देशों में मानवाधिकार के वादों की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कौंसिल में समीक्षा व् सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा, मानवाधिकार के रक्षक व् सामाजिक संगठनों के संरक्षण के लिए वकालत, तथा राष्ट्रमंडल में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के प्रदर्शन की निगरानी करते हुए उनको मजबूत बनाने के लिए वकालत करना।

यह किताब पुलिस व्यवस्था व् क़ानूनी प्रक्रिया से जुड़े क़ानून के प्रमुख पहलुओं व् मानकों पर प्रकाश डालती है। यह पुलिस व्यवस्था में शामिल सामान्य कदाचार व् अनियामित्ताओं को सार में प्रस्तुत करती है, जिससे यह समझने में मदद मिलती है कि क़ानून के अनुसार पुलिस के क्या कार्यकलाप हैं व् वास्तव में पुलिस क्या करती है फलस्वरूप क़ानून व् मानकों का उल्लंघन होता है।

फ्रेड्रिक नाउमन स्ताफ्तिंग फ़र डाई फरेहिट के सहयोग से प्रकाशित

Friedrich Naumann STIFTUNG FÜR DIE FREIHEIT

यूएसओ हाउस
6, स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एरिया
नई दिल्ली – 110067 (भारत)
दूरभाषः +91-11-26862064 या +91-11-26863846
फैक्स : +91-11-26862042
www.southasia.fnst.org
www.stiftung-freiheit.org

भारत के लिए यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल
5/5, शान्ति निकेतन, नई दिल्ली – 110021
दूरभाषः +91-11-66781919
फैक्सः +91-11-66781955
वेबसाइटः http://eeas.europa.eu/delegations/india/index_en.htm

सीएचआरआई मुख्यालय, नई दिल्ली
कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
55ए, तीसरा तल, सिद्धार्थ चैम्बर्स – 1
कालू सराय, नई दिल्ली – 110016
दूरभाषः +91 11 43180200
फैक्सः +91 11 26864688
ईमेलः info@humanrightsinitiative.org